

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 नवम्बर 2011—कार्तिक 23, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 52-एफ-1-20-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत पटेरा, जिला दमोह को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, पटेरा अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	दमोह	पटेरा	नगर परिषद्, पटेरा	ग्राम पंचायत, पटेरा का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 53-एफ-1-33-2008-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् बिछुआ अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	छिन्दवाड़ा	बिछुआ	नगर परिषद्, बिछुआ	ग्राम पंचायत, बिछुआ का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 54-एफ-4-116-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, चिचली, जिला नरसिंहपुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् चिचली अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नगर परिषद्, चिचली	नगर पंचायत, चिचली, थलवाड़ा, दहलवाड़ा, खैरी, सुदरास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 55-एफ-1-26-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, पाली, जिला उमरिया को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगरपालिका परिषद्, पाली अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	क्षेत्र का नाम (3)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (4)
1.	उमरिया	नगरपालिका परिषद्, पाली	नगर परिषद्, पाली का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 56-एफ-1-13-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत चांद, जिला छिन्दवाड़ा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् चांद अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	छिन्दवाड़ा	चौरई	नगर परिषद्, चांद	ग्राम पंचायत चांद का संपूर्ण क्षेत्र, ग्राम पंचायत हरनाखेड़ी, भांड पिपरिया, (ग्राम पंचायत खेरी रानी का ग्राम एवं गोहरगांव, ग्राम पंचायत मोहार का ग्राम) शामिल किये गये हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 57-एफ-1-15-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, सरवनिया महाराज, जिला नीमच को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् सरवनिया महाराज अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नीमच	जावद	नगर परिषद्, सरवनिया महाराज	ग्राम पंचायत, सरवनिया महाराज का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 58-एफ-1-17-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, बैराढ़, जिला शिवपुरी को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, बैराढ़, अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	शिवपुरी	पोहरी	नगर परिषद्, बैराढ़	ग्राम पंचायत, बैराढ़, भदेरा, कालामढ़, पचीपुरा, अमरगढ़, जौदोली, वमनपुरा, अमरौदा-खुर्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 59-एफ-1-19-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, महाराजपुर, जिला छतरपुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगरपालिका परिषद् महाराजपुर अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	क्षेत्र का नाम (3)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (4)
1.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्, महाराजपुर	नगर परिषद्, महाराजपुर का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 60-एफ-1-36-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, करही एवं पांडल्याखुर्द, जिला खरगोन को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, करही एवं पांडल्याखुर्द अधिसूचित किया जाता है:—

## सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	खरगौन	महेश्वर	नगर परिषद्, करही एवं पांडल्याखुर्द	ग्राम पंचायत, करही एवं पांडल्याखुर्द का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 61-एफ-1-18-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, पानखेड़ी (कालापीपल) जिला शाजापुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, पानखेड़ी (कालापीपल) अधिसूचित किया जाता है:—

## सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	शाजापुर	कालापीपल	नगर परिषद्, पानखेड़ी (कालापीपल)	ग्राम पंचायत, पानखेड़ी (कालापीपल) का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.